

**KALAWATI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTER &  
HOSPITAL**

**GORHA, KASGANJ (U.P) 207123**

**IPD PATIENT 1<sup>st</sup> JAN 2020 TO 31 JAN 2020**

DEPARTMENT	JAN
KAYACHIKITSA	91
PANCHKARMA	30
SHALYA	40
SHALAKYA	20
PRASUTI & STRI ROGA	30
KAUMARBHRITTYA	17
MONTH TOTAL	228

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

पत्रांक: 26 / एस0टी0-डी0एम0-2020

दिनांक:- 26

### आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य डिजीज एक्ट, 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 ए संख्या- 195 / एक-11-200-रा0-11 दिनांक: 24.03.2020 के द्वारा भारत आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 सपटित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 उपधारा(जी)के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा गया है।

अतः उक्तानुसार कोरोना कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों/मेडिकल सम्भावित आवश्यकता के दृष्टिगत कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन किए जाने हेतु कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा जनपद कासगंज को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण कोविड-19 एल-1 चिकित्सालय चिन्हित किया जाता है।

उक्त कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल जनपद कासगंज का उपयोग आवश्यकता होने पर संदिग्ध मरीजों के उपचार एवं क्वारेन्टाइन हेतु किया जाएगा। मेडिकल कालेज के निदेशक क्वारेन्टाइन विभाग मरीजों हेतु मेडिकल कालेज भवन में मूल-भूत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराएँगे। चिकित्साधिकारी कासगंज प्रशिक्षित राजकीय चिकित्सकों की ड्यूटी कलावती मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा कासगंज पर आसानी से लगाया सुनिश्चित करेंगे तथा भर्ती मरीजों के उपचार एवं देखभाल का चिकित्साधिकारी कासगंज का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए0के0श्रीवास)  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
कासगंज।

प्रतिलिपि:-

1. जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पुलिस अधीक्षक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज को अनुपालनार्थ।
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, कलावती आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा, जनपद- कासगंज को अनुपालनार्थ।
5. समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
कासगंज।



मार्च, 2020

2019) संक्रमण  
में एपिडेमिक  
एवं शासनादेश  
सरकार के  
5 की धारा-2  
घोषित किया

हेतु जनपद में  
कालेज की  
के उपचार/  
ज एण्ड रिसर्च  
हीत करते हुए

स्पिटल, गोरहा  
एवं बचाव तथा  
रूप जाने वाले  
तथा मुख्य  
ती आयुर्वेदिक  
वश्यकतानुसार  
दायित्व मुख्य

तव)  
जस्ट्रेट,

8 हॉस्पिटल,

जस्ट्रेट,



## कार्यालय : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज

पत्रांक : मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21/340

दिनांक :

प्रधानाचार्य

कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पिटल  
गोरहा, जनपद कासगंज।

विषय : कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल को कोविड-19 के  
एक्टिव कोरेन्टाइन समाप्त करने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति कासगंज :  
03.02.2021 को आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम  
आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पिटल को एक्टिव कोरेन्टाइन से  
जाता है। भविष्य में यदि कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार पांच दिवस पूर्व  
आपके उक्त मेडीकल कालेज को अधिकृत किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा  
कासगंज

पत्रांक : मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21

तददिन

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मिशन निदेशक एन0एच0एम0, लखनऊ।
2. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, कासगंज।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद कासगंज।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई जनपद कासगंज।

मुख्य चिकित्सा अ  
कासगंज

जि

05.02.2021

अन्तर्गत

द्वारा दिनांक  
में कलावती  
मुक्त किया  
सूचना देकर

अधिकारी  
ज

शक।

धिकारी  
जि